



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक 1/किरानी/छतरपुर/भूरा/2017/2859

श्रीमती प्रेमलता आयु लगभग 55 वर्ष पत्नि श्री
बिहारी लाल चतुर्वेदी, निवासी ग्राम मऊ तहो
नौगाँव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---

--- निगरानीकर्ता

बनाम

1- प्रबंधक 0 गौशाला समिति मऊ सहानिया,
निवासी ग्राम मऊसहानिया तहो नौगाँव जिला
छतरपुर मध्य प्रदेश

2- शासन म.प्र. तहो नौगाँव जिला छतरपुर म.प्र. --- - गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं. 1959
निगरानी विस्त न्यायालय श्रीमान तहसीलदार
नौगाँव जिला छतरपुर के राजस्व मामला क्रमांक
886 बी 121/16-17 अध्यक्ष एवं सचिव बुन्देलखण्ड
गौशाला समिति नौगाँव जिला छतरपुर बनाम
शासन म.प्र. में पारित आदेश दिनांक 07-7-17
से व्यधित होकर

छठे

महोदय,

सेवामें आवेदिका/निगरानी कर्ता सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत
करती है कि :-

---: निगरानी के तथ्य :---
=====

1- यह कि निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा
क्रमांक 266, 267, 268, 269, 270, कुल किता 5 कुल रकवा 4.481 हेक्टे. स्थित ग्राम
मऊ प. ह. नं. 34 तहो नौगाँव जिला छतरपुर म.प्र. निगरानी कर्ता की पूर्वजों से
लेकर वर्तमान तक 50 वर्ष से अधिक कब्जे की भूमि है, जिस पर निगरानी कर्ता 0
कृषि करके अपने व अपने परिवार का उदर पोषण करती है, निगरानी कर्ता का
आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, निगरानीकर्ता के कब्जा को राजस्व अमले ने
भी माना तथा निगरानी कर्ता ने उक्त भूमि का व्यवस्थापन कराने के लिये कई
वार तहसील नौगाँव में आवेदन दिये जो वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि

5/32
कलम 22
87-8-10
25

5/17
95-8-17

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 2859

श्रीमती प्रेमलता विरुद्ध प्रबंधक गौशाला समिति व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार नौगांव, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 886/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(जे0के0 जैन) सदस्य</p>	